



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 श्रावण 1947 (श10)

(सं0 पटना 1286) पटना, मंगलवार, 29 जुलाई 2025

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

28 जुलाई 2025

सं० 4/क्षे०स्था० जनगणना (अधिसूचना)-12-02/2025-514(4)/रा०—जनगणना अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या-37, सन् 1948) के तहत बनाये गये जनगणना नियम, 1990 के नियम X (iv) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल भारत की जनगणना 2027 के लिए बिहार राज्य के सभी जिलों, अनुमण्डलों, सामुदायिक विकास प्रखंडों, सांविधिक शहरों, ग्राम पंचायतों एवं ग्रामों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार की सीमाओं में दिनांक 31 दिसम्बर 2025 के पश्चात से भारत की जनगणना 2027 का कार्य पूर्ण होने की तिथि 31 मार्च 2027 तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन न किये जाने का आदेश देते हैं। बिहार के राज्यपाल यह भी आदेश देते हैं कि क्षेत्राधिकार की सीमाओं में 01 जनवरी 2026 से पूर्व हुए परिवर्तनों से संबंधित सूचना एवं वांछित अधिसूचना निदेशक, जनगणना कार्य/निदेशक, नागरिक निबंधन, बिहार, पटना को अग्रसारित की जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेशानुसार,
दीपक कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव-सह-राज्य
समन्वयक, जनगणना।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1286-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>